डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2001—भाद्र 30, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2001

क्रमांक 848/1826/सा.प्र.वि./2001/लीव/2.—श्री एन. के. असवाल, कमिश्नर, बिलासपुर को दिनांक 15 जून से 24 जून, 2001 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री असवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री असवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2001

क्रमांक डी/2607/1262/व्ही आई पी/आजाक/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार मण्डल अधिसूचना क्रमांक एफ-1-4/25/आजाक/2000, दिनांक 16-1-2001 एवं क्रमांक 2128/2266/आजाक/2001, दिनांक 25-7-2001 के अनुक्रम में अनुमोदनानुसार निम्नांकित दो सदस्यों के नाम जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. (1)	नाम (2)	जाति (3)	पता (4)
1.	श्री भुनेश्वर सोनी	सोनार	मु. रजगामार कालोनी, पो. ओमपुरी कालोनी तह. जिला-कोरबा (छ.ग.)
2.	श्रीमती चन्द्रवती साहू	साहू	ए-14 गायत्री नगर, शंकर नगर, पोलिस चौकी के पास, रायपुर (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुव, अवर सचिव.

लोक निर्माण, आवास, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2001

क्रमांक 4033/एस-1706/लोनिवि/2001.—टोल टैक्स एक्ट, 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) जैसा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है, की धारा-2 में सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नांकित नवनिर्मित पुलों, जो जिला कांकेर के लोक निर्माण विभाग कांकेर संभाग, कांकेर के अंतर्गत आते हैं, पर पथकर अधिरोपित करने हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23/4/2000/सा-19, भोपाल दिनांक 27-1-2000 में संलग्न द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उदग्रहित करता है :—

क्र. (1)	पुल का नाम (2)	कुल निर्माण लागत (3)
1.	**महानदी पुल** :— लखनपुरी चिनौरी झेपरा मार्ग के कि.मी. 8/10 में निर्मित.	338.62 लाख
2.	**सिरसिदा पुल** :—चारामा कोरर मार्ग के कि.मी. 5/4 में निर्मित.	74.87 लाख
3.	**सेंदरी पुल** :— सम्बलपुर सिलपट मार्ग के कि.मी. 10/8 में निर्मित.	42.94 लाख

और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 31-19/84/जी-19/720, दिनांक 12-6-85 की तृतीय अनुसूची में एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 23-2/94/जी/19, दिनांक 9-5-94 में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेंगी.

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

Raiput, the 1st September 2001

NOTIFICATION

No. 4033/S-1706/P.W./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Act (VIII of 1851) in its application to the State of Chhattisgarh. The State Government hereby levies Toll Taxes on following Bridges situated in Kanker district under P.W.D., Kanker divison.

S.No. (1)	Name of Bridge (2)	Total Cost of Constn. (3)
1.	**Mahanadi Bridge** in Km. 8/10 on Lakhanpuri Chinnori Jepra Road.	Rs. 338.62 Lakhs
2.	**Sirsida Bridge** in Km. 5/4 on Charama Korar Road.	Rs. 74.87 Lakhs
3.	**Sandri Bridge** in Km. 10/8 on Sambalpur Silpat Road.	Rs. 42.94 Lakhs

at the rates specified in the Second Schedule appended to this department's Notification No. F-23/4/2000/G-19, Bhopal dated, 27-1-2000 and declares that the vehicles, specified in the third schedule to this department's Notification No. F-31/19/84/19/720, dated 12-6-85 and Notification No. F-23-2-94/G/19 dated 9-5-94 shall be exempted from the payment of the said tolls. This order will be inforced with effect from the date of its publication.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 466/430/उप सचिव/आवास/पर्यावरण/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

(1) (i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
(ii) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

(2) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा अब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाये.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेगी.

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975
2.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्यप्रदेश नियम, 1975
3.	मध्यप्रदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अपील नियम, 1976
4.	मध्यप्रदेश स्टेट प्रिव्हेन्सन एण्ड कंट्रोल आफ पॉलुशन बोर्ड एण्ड इट्स कमीटिज (मीटिंग) रूल्स, 1975
5.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1983

Raipur, the 6th September 2001

NOTIFICATION

No. 466/430/DS/H & E/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws order, 2001.
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation certificate or license in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

S. No. (1)	Name of the Law's (2)
1.	Water (Prevention and Control of Pollution) Madhya Pradesh Rules, 1975.
2.	Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Madhya Pradesh Rules, 1975.
3.	M. P. Water (Prevention & Control of Pollution) Appeal Rules, 1976.
4.	Madhya Pradesh State Prevention Control of Water Pollution Board and it Committees (Meeting) Rules, 1975.
5.	Air (Prevention and Control of Pollution) Madhya Pradesh Rules, 1983.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 जुलाई 2001

क्रमांक 851/ले. पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	तुरमुड़ा प. ह. नं. 31	11.47	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 1402/ले. पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	खुरसुल	1.85	कार्यपालन यंत्री, खरखरा/ मोंहदीपाट नहर परियोजना, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 1404/ले. पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	गुड़ेला	4.86	कार्यपालन यंत्री, खरखरा/मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 1406/ले. पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	खुरसुनी	9.29	कार्यपालन यंत्री, खरखरा/मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 1408/ले. पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	माहूद	25.07	कार्यपालन यंत्री, खरखरा/मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 1410/ले. पा./भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	बघेली	6.48	कार्यपालन यंत्री, खरखरा/मोंहदीपाट नहर परियोजना संभाग, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 मई 2001

क्रमांक 2231/क/भू-अर्जन/2001/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	सेन्द्रीपाली	3.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	जलाशय निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कोरबा, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक 2231/3/अ-82/भू-अर्जन/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	गुरसिया	4.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक 2231/4/अ-82/भू-अर्जन/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	गोपालपुर	5.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	गोपालपुर जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक 2231/5/अ-82/भू-अर्जन/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	गांगपुर	0.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	छुरी जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकमल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

प्रक. क्रमांक 01/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	बघर्रा	1.54	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली, बिलासपुर.	बघर्रा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

प्रक. क्रमांक 02/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	बघनी भंवर	0.68	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली, बिलासपुर.	बघर्रा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

प्रक. क्रमांक 03/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	कोसाबाड़ी	4.76	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली, बिलासपुर.	बघर्रा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

प्रक. क्रमांक 04/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	नवागांव वेंकट	1.01	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली, बिलासपुर.	भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी लोरमी, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

प्रक. क्रमांक 05/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	पेण्ड्री तालाब	5.60	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली, बिलासपुर.	भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

प्रक. क्रमांक 06/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	तुलसाघाट	7.12	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली, बिलासपुर.	भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

प्रक. क्रमांक 07/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	राम्हेपुर	3.17	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली, बिलासपुर.	भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

प्रक. क्रमांक 08/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	महरपुर	1.02	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली, बिलासपुर.	भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

प्रक. क्रमांक 09/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के ..ने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	ढोलगी	10.34	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली, बिलासपुर.	भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक 2/भू-अर्जन/अ-82/95-96/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	कोण्डागांव	0.121	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	कोपाबेड़ा तालाब की उलट नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक 5/भू-अर्जन/अ-82/95-96/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	कमेला	158.45	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टी.डी.पी.पी., जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक 26/भू-अर्जन/अ-82/83-84/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	नगरनार प. ह. नं. 51	10.793	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टी.डी.पी.पी., जगदलपुर.	भालूगुड़ा लघु सिंचाई योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक 1/भू-अर्जन/अ-82/87-88/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	दशापाल/ सरगीपाल	0.606/ 1.075	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टी.डी.पी.पी., जगदलपुर.	दशापाल तालाब निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक 7/भू-अर्जन/अ-82/88-89/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बोड़नपाल प. ह. नं. 26	0.891	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टी.डी.पी.पी., जगदलपुर.	कोसारटेडा परि. की सिवनी शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक 1/भू-अर्जन/अ-82/89-90/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	सालेमेटा प. ह. नं. 36	12.467	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टी.डी.पी.पी., जगदलपुर.	कोसारटेडा परि. के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक 28/भू-अर्जन/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बीजापुर प. ह. नं. 51	2.425	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टी.डी.पी.पी., जगदलपुर.	बीजापुर उद्वहन माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक 1/भू-अर्जन/अ-82/96-97/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	खड़का प. ह. नं. 36	39.040	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टी.डी.पी.पी., जगदलपुर.	कोसारटेडा जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 25 अगस्त 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बड़ेडोंगर	1.276	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	बड़ेडोंगर जलाशय क्रमांक-2 की उलट नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जुलाई 2001

क्रमांक 1 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-पिसौद, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.867 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1363	0.008
	1364/2	0.040
	1384	0.016
	1671	0.024
	1900/1	0.016
	2089	0.016
	1901	0.032
	2331	0.020
	2017	0.040
	2336/1	0.049
	2335	0.016
	1900/2	0.040
	1940	0.016
	2329	0.008
	1953	0.032
	1969	
	2090	0.202
	2095	0.049
	2108	0.097
	2756	0.049
	2757	0.053
	2097/4	0.032
	1906	0.012
योग	21	0.867

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रोगदा बिरगहनी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जुलाई 2001

क्रमांक 2 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-लछनपुर, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	920	0.101
	922	
	923	
	916/1	0.020
योग	2	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लछनपुर बसंतपुर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जुलाई 2001

क्रमांक 10 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-रोगदा, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.665 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1091/1	0.065
1090/1	0.057
1087	0.061
1088/6	0.032
1037	
933/2	0.053
922/3	0.008
933/1	0.069
921/1	0.061
1001/2	0.004
935	0.332
936	0.069
1003/1	
1036/4	0.061
1036/1	0.065
1007	0.016
1036/3	0.028
1038	0.012
1039	
1027	0.008
1021	0.073
1010/6	0.012
1022/1	0.065
1010/4	0.024
1009/1	0.012
1023	0.004
1012	0.004
1010/3	0.081
1002	0.061
1004	0.170
1005	
1067	0.069
1768/1	0.008
1769	0.081
योग 30	1.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लछनपुर नवागढ़ मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जुलाई 2001

क्रमांक 19 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-पिपरदा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
496	0.049
497	0.105
498/2	0.234
499/2	0.571
483/2	0.008
494/1	0.020
484/2	0.020

(1)	(2)
487/2, 499/1	0.275
487/5	0.210
487/1	0.137
487/4	0.012
486/2	0.020
486/3	0.145
281	0.073
481	0.101
477	0.162
283/5	0.012
284	0.109
योग 18	2.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—शनिचराडीह जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुदिभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/96-97.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-अंवरी, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.025 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
123	0.567
124	0.587
125	0.587
126	0.534
127/1	0.898
127/2	0.737
161	0.575
162	1.214
167/1	0.162
167/2	0.308
167/3	0.308
168	0.793
171/2	0.745
175	0.241
176/9	0.210
176/12	0.567
176/11	0.243
64/2, 163	1.789
171/4	0.049
योग	11.025

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आरंडी तालाब के स्पिल चैनल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/84-85.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बस्तर
  (ख) तहसील-केशकाल
  (ग) नगर/ग्राम-बदवर, प. ह. नं. 03
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.599 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.582
80/81	0.032
9/1	0.089
21/26	0.024
9/2	0.085
21/5	0.125
21/12	0.368
21/16	0.125
21/32	0.150
योग	1.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कोरकोटी तालाब की नहर नाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बस्तर
  (ख) तहसील-केशकाल
  (ग) नगर/ग्राम-धनोरा, प. ह. नं. 03
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.460 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231	0.460
योग	0.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ईरागांव पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-केशकाल
(ग) नगर/ग्राम-गौरगांव उर्फ चिखलाडीह, प. ह. नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.025 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22	0.174
21	0.069
94	0.040
1/141	0.081
1/67	0.036
23	0.109
52/2, 74/2	0.097
25	0.040
26/8, 35/8, 53/2ज	0.024
75/1क	0.024
55/1क, 56/1, 60/1	0.020
26/1, 35/1, 53/1क	0.032
75/1ग	0.032
55/1झ, 56/9, 60/1ख	0.024
55/1ध, 56/6, 60/1च	0.016
26/2, 35/2, 53/2ख	0.028
26/9, 35/9, 53/2झ	0.036
76/3ख	0.032
91/6	0.020
91/5ख	0.077
131	0.045
133/1	0.049
91/4ख	0.032
129/2ग	0.020
95/1ख	0.040
100/2ख	0.081
91/3	0.012
104/1	0162
135/1क	0.020
100/2क	0.012
113/2	0.024
129/1ख, 132/2	0.028
129/2ख	0.024
101/3	0.010
55/1ग, 56/3, 60/1ग	0.008
53/2क	0.045
95/1क	0.008
137/1	0.049
53/3ख	0.016
95/1ग	0.024
100/1	0.004
113/1	0.012
53/13क	0.036
1/9, 53/8	0.049
75/1	0.020
55/4	0.032
55/16, 55/17, 60/16	0.016
53/13ख	0.036
75/1र	0.020
55/1ग, 56/6, 60/1ग	0.008
53/16क	0.012
53/16ख	0.012
93/2	0.040
53/15ख	0.032
76/2	0.105
76/1क	0.045
76/1ग	0.032
76/3क	0.040
101/1ख	0.069
130/2	0.008
135/2	0.024
130/1ध	0.020
133/2	0.036
129/3क	0.028
101/3क	0.036
101/1क	0.073
112	0.053
101/2	0.093
75/1व	0.049
55/1ल	0.040
75/1म	0.020
55/1ज, 56/10, 60/1ज	0.049

(1)	(2)
56/1ध, 56/4, 60/1ध	0.020
77/1ज	0.020
75/1प	0.020
55/1ड, 56/5, 60/1ड	0.016
55/5क, 75/2	0.162
55/3	0.045
55/5ख,75/2	0.024
55/1ख, 56/2 60/1ख	0.125
60/2क, 61/2	0.040
योग	10.025

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—केशकाल बांसकोट मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-केशकाल

(ग) नगर/ग्राम-अरण्डी, प. ह. नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.365 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176/2	0.142
176/3	0.223
योग	0.365

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अरण्डी तालाब की नहर नाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 20 अगस्त 2001

क्रमांक 10/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (एक)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-साजा

(ग) नगर/ग्राम-मुंगलाटोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
7/1	0.36
11	0.10
307	0.13
25	0.02
32	0.22
36	0.15
301	0.24
306	0.08
318	0.13
262	0.11

(1)	(2)
293	0.47
309	0.20
30	0.06
314	0.01
37	0.11
302	0.29
315	0.15
39/4	0.06
10	0.76
23	0.19
24	0.07
31	0.03
35	0.18
39/3	0.07
303	0.01
308	0.27
39/7	0.08
योग	4.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सुरही कर्रा नहर निर्माण.

(3). भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2001

क्रमांक 1537/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (एक) 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-घूमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.63 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
199	0.05
197	0.01
639	0.07
638	0.05
634/1	0.20
932/3	0.03
943	0.02
682/1	0.02
716/1	0.03
945	0.16
687	0.01
720	0.12
198	0.02
640	0.05
637	0.02
683	0.16
932/1	0.01
959	0.02
716/2	0.03
958	0.03
946	0.02
858	0.05
947	0.01
200	0.06
641	0.04
636	0.01
932/2	0.05
861	0.02
634/2	0.13
682/2	0.02
944	0.08
933	0.03
योग	1.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रौंदा जलाशय दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2001

क्रमांक 1540/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (एक) सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
380/1	0.04
379/1	0.06
379/2	0.02
380/2	0.08
385/1	0.08
344	0.01
योग	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रौंदा जलाशय हेतु दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2001

क्रमांक 1543/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (एक) सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-रौंदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
118	0.30
184	0.12
185	0.12
186	0.05
187	0.01
195	0.01
199	0.06
200	0.02
201	0.02
197	0.03
198/1	0.01
198/9	0.02
198/1क	0.01
198/2	0.02
198/10	0.03
198/3	0.03
198/1ख	0.01
198/4	0.02
198/5	0.03
198/6	0.03
198/7	0.04
198/8	0.03
198/12	0.02
504	0.13
501	0.16
502	0.11
503	0.05
499	0.01
500	0.01
984	0.10
865	0.10
857	0.05
852	0.02
809	0.03
807	0.03
804	0.03
803	0.01

(1)	(2)
990	0.04
981/1	0.05
981/2	0.05
816	0.02
817/1	0.04
911	0.01
1223	0.03
912	0.01
1228	0.02
1226	0.02
1224	0.04
1199	0.02
1147	0.02
योग	2.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रौंदा जलाशय हेतु बांयी तट नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2001

क्रमांक 1546/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (एक) सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-धमधा

(ग) नगर/ग्राम-रौंदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79/1	0.04
87	0.32
89	0.04
100	0.16
98	0.16
95/1	0.14
95/2	0.17
223	0.02
222	0.12
221	0.40
233	0.24
278	0.12
277	0.09
276	0.08
285	0.07
390	0.08
275	0.04
286	0.05
283	0.03
284	0.02
288/1	0.08
288/2	0.08
289	0.09
290	0.09
405	0.10
293	0.04
264	0.12
267	0.08
266	0.09
268/2	0.20
302	0.08
368	0.11
367/2	0.03
367/1	0.05
366	0.06
365	0.06
364	0.05
363	0.03
362	0.02
398	0.07
400	0.08
406	0.11
411	0.11
412	0.11
414	0.08
361	0.01
योग	4.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रौंदा जलाशय हेतु दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2001

क्रमांक 1549/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (एक) सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-धमधा
  (ग) नगर/ग्राम-रौंदा
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-47.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/3	0.34
49/4	0.08
49/9	0.05
49/14	0.18
133/2	0.50
49/2	2.09
45	0.92
49/7	0.11
49/13	0.28
68/2	0.52
133/5	0.40
52	1.75
38/1	0.20
141	0.69
167	0.12
137	0.43
130	0.28
129	0.09
124	0.14
126	0.44
169	0.10
50/5	0.12
44/1	0.21
49/6	0.12
49/11क	0.05
58/1	0.39
133/4	0.48
39/4	0.34
49/3	0.11
49/10	0.16
49/15	0.15
133/1	0.10
46	0.39
56	0.38
145	0.19
140	0.08
51	0.83
134	2.18
132	0.59
127	0.19
122	0.11
123	0.13
50/1	0.32
50/2	0.32
49/1	0.12
49/8	0.18
49/12	0.29
68/1	0.52
44/2	0.42
44/3	0.21
49/5	0.12
49/11ख	0.07
58/2	0.40
133/3	0.50
47	1.96
66	0.23
144	0.20
139	0.04
135	1.16
128	1.02
131	1.04
125	0.35
121	0.09
182	1.76
50/3	0.10
50/4	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
50/6	0.12	13/27	0.21
67	0.28	40/29	0.20
13/22	0.05	71/7	0.12
71/1	0.12	75/10	0.21
74/1	0.31	71/4	0.12
75/19	0.10	75/9	0.32
13/16	0.07	59/2	0.40
13/35	0.04	76/2	0.43
40/24	0.05	59/1	0.37
40/28	0.11	65	0.04
71/10	0.12	13/18	0.09
75/7	0.20	40/17	0.05
13/13	0.07	54/4	0.09
40/19	0.06	75/1	0.21
71/3	0.12	75/18	0.21
75/8	0.31	13/20	0.05
142/1	0.11	13/36	0.06
75/4	0.20	54/2	0.08
75/17	0.20	73/1	0.72
62/2	0.23	142/4	0.11
57	0.91	13/25	0.12
64	0.32	40/30	0.06
13/17	0.07	54/5	0.09
13/29	0.05	55	0.32
40/27	0.12	72	0.55
71/6	0.12	40/15	0.14
75/13	0.18	73/2	0.72
142/9	0.11	75/15	0.10
13/33	0.02	142/8	0.03
40/26	0.15	13/28	0.17
76/1	0.43	40/21	0.03
75/14	0.10	40/25	0.11
13/24	0.06	71/2	0.12
40/16	0.06	75/3	0.16
40/32	0.10	142/2	0.11
142/7	0.11	13/34	0.03
53	0.13	54/3	0.08
70	0.31	75/2	0.23
13/31	0.13	75/16	0.17
62/1	0.22	71/9	0.12
75/5	0.17	75/11	0.20
142/6	0.05	61	0.60
13/19	0.06	69	0.66
40/20	0.05	63	0.60
54/1	0.09	13/14	0.05
74/3	0.18	13/26	0.23
75/12	0.20	40/23	0.06

(1)	(2)
71/5	0.12
75/6	0.32
142/5	0.11
13/30	0.15
40/22	0.06
71/8	0.12
74/2	0.08
13/15	0.06
13/32	0.11
40/31	0.06
142/3	0.07
योग	47.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रौंदा जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 982 /ले. पा./01/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मंगचुआ, प. ह .नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
888	0.14
889	0.15
890	0.03
880	0.49
891/1	0.05
878	0.10
879	0.09
योग	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—तुड़मुड़ा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 982 /ले. पा./02/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मरसकोला, प. ह .नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.43 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
699/1	0.18
699/2	0.18
643	0.79
639	0.10
680	0.15
681	0.10
665	0.44
644	0.41

(1)	(2)
640	0.08
योग	2.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—तुड़मुड़ा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 982 /ले. पा./03/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भेड़ी, प. ह .नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-48.75 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
761	0.57
911	0.43
762	0.31
910	1.27
763	0.24
909	1.07
764	0.20
908	0.40
765	0.20
952	0.68
955	1.75
953	0.20
954	0.15
956/1	0.01
956/3	1.77
972/1	1.00
956/2	1.00
972/2	1.46
959/1	2.22
960/3	0.60
959/2	1.07
960/1	0.48
970	0.55
395/1	0.10
971	0.92
976	0.10
977	1.32
978	3.12
515	1.65
1000	1.05
1001	1.20
1002	0.68
1004	0.41
994/2	0.01
995	1.90
996	1.52
997	0.62
985	0.56
998/4	0.17
987/2	0.39
999	0.37
981/1	0.31
981/2	0.30
516/1	0.12
981/3	0.57
980	0.78
536	1.04
548	0.68
537	0.58
527	0.30
529	0.01
540/2	0.08
505	0.04
506	0.02
509	0.25
507	0.76
508	0.35
510	0.02
511/1	0.55

(1)	(2)
511/3	0.60
511/2	0.40
512	0.18
502/2	1.35
516/2	0.03
594	0.01
595	0.08
596	0.21
550/1	0.30
550/2	0.36
551	0.62
552	0.04
385/1	0.03
385/2	0.43
386	0.26
387	0.33
399	0.02
390	0.02
391	0.78
400	0.01
395/2.	0.30
398	8.42
907/1	0.48
907/3	0.57
912/1	0.44
योग	48.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 982 /ले. पा./04/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
 (ग) नगर/ग्राम-सुरेगांव, प. ह .नं. 14
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-33.10 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1292/4	0.07
1291/1	0.26
1313	0.75
901	0.95
1312	0.03
1100	0.40
1099/1	0.10
1101	0.12
1103	0.10
1102	0.12
1104	0.09
1105	0.40
933	0.30
1106	0.40
1117	0.10
1111	1.60
1113	0.70
1066	0.30
1067	0.14
1065/3	0.18
1065/2	0.30
1054/2	0.42
1054/1	0.40
1065/1	0.09
506/1	0.66
506/2	0.06
507	0.32
518	0.20
508/1	1.35
1060	0.46
515	0.11
516	0.13
517/1	0.42
517/2	0.53
520	0.02
521	0.20

(1)	(2)
720	0.40
522	0.23
523	0.40
537	1.60
1058	0.44
1333	0.02
1327	0.42
740	0.62
1321	0.05
739	0.02
1326/1	0.20
940/3	0.15
1326/2	0.20
940/5	0.50
927	0.05
1323	0.30
1292/1	0.35
1292/3	0.25
1055	0.34
1328	0.20
942	0.26
943	0.54
1326/3	0.14
940/4	0.32
931	0.62
930	0.25
929	0.13
928	0.06
934	0.86
913	0.42
911	0.50
899	0.04
900	0.32
696	1.00
709	0.02
710	0.31
717	0.52
719	0.55
1059	0.40
1332	0.08
705	0.25
711	0.32
708	0.08
707	0.60
715	0.65
743	0.18
738	0.26
741	0.82
734	0.64
730	0.10
914	0.02
932	0.10
731	0.69
732	0.60
1322/2	0.15
898/1	0.35
912	0.38
718	0.02
1291/2	0.03
योग	33.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 982 /ले. पा./05/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भालूकोन्हा, प. ह .नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.28 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
936	0.65

(1)	(2)	(1)	(2)
985	0.67	1033	0.04
929	1.42	1018	0.19
1032	0.68	928	0.02
973/1	0.12	930	0.36
918	0.41	938	0.02
1058	0.03	777	0.71
122	0.50	933	0.58
21	0.49	927	0.14
1009/1	0.18	1019	1.00
9	0.48	1014	0.12
74	0.12	128/2	0.18
1030	0.34	129	0.10
118	0.42	123	0.12
126	0.17	937	0.42
1029	0.24	10	0.18
773	0.58	1012/1	0.01
224	0.36	1011	0.02
91/3	0.40	1012/2	0.07
1057	0.01	766	0.38
182	0.40	223/2	0.14
185	0.22	221	0.50
983	0.52	222	0.19
1028	0.04	935	0.11
22	0.50	934	0.02
219	0.34	1062	0.12
1013/1	0.23	213	0.02
72	0.38	5	0.09
770	0.55	8	1.42
17	0.34	184	0.22
181	0.05	972	0.15
177	0.08	218	0.02
73	0.02	23	0.19
984/1	0.35	24	0.26
984/2	0.29	125	0.20
180	0.12	919	0.72
183	0.09	774	0.54
971	0.10	1031	0.08
91/2	0.16	917	0.16
1013/2	0.42	1020	0.04
769	0.20	1061	0.03
767	0.62	1064	0.02
771	0.59	776	1.30
768	0.73	1007/1	0.07
115	0.20	215	0.52
220	0.90	970	0.06
179	0.40	214	0.01
1036	0.04	170/2	0.04

(1)	(2)
216	0.01
178	0.09
89/2	0.04
90	0.03
130	1.06
योग	30.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 982 /ले. पा./06/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कठिया, प. ह .नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1	0.85
2	0.50
5	0.30
309/1	0.02
309/2	0.18
योग	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 982 /ले. पा./07/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-केवट नवागांव, प. ह .नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.69 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1188	0.04
1085	0.50
968	0.02
1043	0.92
1039	1.20
1192	0.77
1189	0.68
1145	0.54
1123	0.36
1147/1	0.15
1197	0.18
1195	0.02
1143	0.68
1144	0.48
1226	0.24
1133/2	0.84
1132	0.46
1080	0.40
1038	0.56

(1)	(2)
1231	0.04
1086	1.44
1196	0.26
1122/1	0.07
1255	1.00
1257	0.12
1194	0.05
1256/1	0.64
1191	0.05
1146	0.05
1125	0.08
1227/1	0.04
1044	0.14
1082	0.18
1041	0.35
1042/1	0.26
1227/3	0.84
1250	1.98
969	0.06
1256/2	0.24
1128	0.55
1124	0.30
1127	0.12
1077	0.98
1083	0.68
1263	0.07
1193	0.34
1037	0.56
1122/2	0.68
970/3	0.10
1084	0.02
1230	1.12
1040/1	0.04
1042/3	0.20
योग	22.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई.सी.पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक 12298/क/ख.लि./2001.—म. प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में, वर्जित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन होने के 30 दिवस के पश्चात् खनि रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे।

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	ख. नं.	रकबा	खनिज	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बिरगनी	171/5	2.00 ए.	चूना पत्थर	निजी भूमि
				162	0.13 ए.	—,,—	—,,—
				163	0.22 ए.	—,,—	—,,—
				164	0.36 ए.	—,,—	—,,—
				165	0.46 ए.	—,,—	—,,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बिरगहनी	198/2	0.70 ए.	चूना पत्थर	निजी भूमि
				199/1	0.15 ए.	—,,—	—,,—
				199/2	0.15 ए.	—,,—	—,,—
				199/4	0.22 ए.	—,,—	—,,—
				199/5	0.15 ए.	—,,—	—,,—
				199/6	0.22 ए.	—,,—	—,,—
				240	0.62 ए.	—,,—	—,,—
				241	0.60 ए.	—,,—	—,,—

एम. के. पिंगुआ
कलेक्टर, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2001

क्रमांक क/ख.लि./2001.—सर्वसाधारण को सूचित किया जा सकता है कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 12 के अन्तर्गत चूना पत्थर खनिज के लिये नीचे सूची में दर्शाये गये क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आवंटन के लिये उपलब्ध रहेगा। आवेदनपत्र प्राप्त होने के पश्चात् व आवेदित क्षेत्र के चूना पत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

अनु.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा	रकबा	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बाहनाकाड़ी	79	रायपुर	211/1, 2, 3, 4	2.56 ए.	श्री प्रकाश अठवानी के नाम 4-1-2000 लीज स्वीकृत रहा.
2.	बासीन	7	राजिम	848/1	2.94 ए	दिलीप जैन निवासी रायपुर के नाम लीज स्वीकृत रहा, निरस्त मान्य किया गया.
3.	बिनौरी	5	राजिम	2 का भाग	0.34 ए.	कु. कलासिंह नेताम के नाम पर लीज स्वीकृत रहा, अवधि समाप्त.
4.	बासीन	7	राजिम	1177, 1178	0.34 ए.	एशानी स्टोन इण्ड., प्रो. चुन्नीलाल एशानी के नाम लीज स्वीकृत रहा. लीज निरस्त मान्य किया गया है.
5.	भसेरा	6	राजिम	455	1.50 ए.	तुलसीराम भतपहरी के नाम लीज स्वीकृत रहा. लीज निरस्त मान्य किया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	बासीन	7	राजिम	1177, 1178	1.00 ए.	मौली श्रमिक फर्शी. पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित को लीज स्वीकृत रहा. लीज निरस्त मान्य किया.
7.	बिनौरी	5	राजिम	42/2, 48, 49	0.86 ए.	टीकाराम ढीमर को लीज स्वीकृत रहा. निरस्त मान्य किया गया है.
8.	भसेरा	7	राजिम	457 का भाग	0.315 ए.	ज्योति महिला अनु. जाति सहकारी समिति, भसेरा को लीज स्वीकृत रहा. लीज निरस्त मान्य किया गया.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2001

क्रमांक क/ख.लि./2001/484 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अन्तर्गत चूना पत्थर खनिज के लिये सूची में दर्शाये क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आवंटन के लिये उपलब्ध रहेगा। आवेदनपत्र प्राप्त होने के पश्चात् व आवेदित क्षेत्र चूना पत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

अनु. (1)	ग्राम का नाम (2)	प. ह. नं. (3)	तहसील (4)	खसरा (5)	रकबा (6)	अन्य (7)
1.	बासीन	7	राजिम	1777	2.14 ए	श्री रेखराम नाग को ग्राम बासीन में दिनांक 25-11-92 से 24-11-2002 तक स्वीकृत चूना पत्थर का उत्खनि पट्टा निरस्त किया गया है।

(जे. मिंज)
अपर, कलेक्टर

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2001

क्रमांक 3147/तीन-6-8/2000 .—दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) के अधीन उद्भूत होने वाले दाडिण्क मामलों का विचारण करने के लिये नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक दण्डाधिकारी को मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक डी-1976/2359/26-2/88 दिनांक 23-6-1989 के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) की धारा 5 के अंतर्गत निर्मित विशेष न्यायालय में द्वितीय न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये जिलों के लिये विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक	विशेष द्वितीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय अधिकारिता व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जी. के. नीलम	बिलासपुर	बिलासपुर

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना (जहां तक उसका संबंध बिलासपुर पर नियुक्ति से है) को निरस्त की जाती है.

Bilaspur, the 3rd August 2001

No. 3147/III-6-8/2000.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate specified in column No. (2) of the Scheduled below as a Second Judicial Magistrate First Class in the Special Court established by the State Government of Madhya Pradesh under Section 5 of the Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986) vide Social Welfare Department, Bhopal Notification No. D/1976/2359/26/2-88, dated 23-06-1989 for the local Jurisdiction specified in the corresponding entries in column No. (4) of the said schedule with head quarter at the place shown in corresponding entries in column No. (3) thereof, to try cases relating to offences punishable under Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986), namely :—

SCHEDULED

Sl. No.	Name of the Special Second Judicial Magistrate First Class	Head Quarter	Local Areas
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri G.K. Neelam	Bilaspur	Bilaspur

The earlier High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Notification (so far as it relates to appointment of Second Judicial Magistrate First Class, Bilaspur) is hereby cancelled.

Bilaspur, the 10th August 2001

No. 3117/II-2-18/2000.— pursuance to provisional allocation of Shri B. K. Shrivastava, District & Sessions Judge to the State of Chhattisgarh, vide Order No. S/14/2-2000 (SR) dated 07-06-2001 of Department of Personnel, public Grievances and Pension, Government of India, New Delhi, Hon'ble the Chief Justice is pleased to appoint him as District Judge (Vigilance), Bilaspur under Article 229 of the Constitution of India with effect from the date he takes over charge of his office.

Bilaspur, the 10th August 2001

No. 3119/IV-12-9/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the constitution of India, the High Court of Chhattisgarh is pleased to grant to Shri Dharmendra Swaroop Jain, District & Sessions Judge, Raipur the above Super Time Scale of Pay of Rs. 22,400-525-24,500 from the date of this order.

Bilaspur, the 10th August 2001

CORRIGENDUM

No. 3311/II-2-1/2001.—In the order No. 2735/II-2-1/2001 dated 07th June, 2001 of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, the name of " Shri Surendra Kumar Tiwari" appearing in column No. 2 of the table may be read as " Shri Surendra Tiwari "

By order of Hon'ble the Chief Justice,
T. K. JHA, Registrar General.